विद्यार्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में राज्य सरकार का निर्देश है कि आर्थिक रूप से गरीब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्प संख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के माता-पिता एवं विधिक अभिभावकों की **वार्षिक आय रू0 दो लाख** तक है, का शैक्षिक स्थिति सुदृढ़ करने हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति शैक्षिक सत्र 2020-21 में कुशलतापूर्वक आनलाइन करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश निम्नवत् है :-

क्र0सं0	कार्यवाही का स्तर	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही की समायविध कक्षा 11-12 को छोड़कर अन्य दशमोत्तर कक्षाओं हेतु
01	स्तर-1	छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया जाना है। (http://scholarship.up.gov.in)	01 अगस्त ['] , 2020 से 1 नवंबर, 2020 तक
02	स्तर-2	छात्र द्वारा किये गये आनलाईन आवेदन में हुई त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना।	छात्र द्वारा आनलाईन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में
03	स्तर-3	आनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कापी छात्र/छात्रओं द्वारा वांछित संलग्नाकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 05 दिन के अन्दर, बिलम्बतम 06 नवम्बर, 2020 तक
04	स्तर-4	शिक्षण संस्थान द्वारा आनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	02 अगर्स्त, 2020 से 12 नवम्बर, 2020 तक
05	स्तर-5	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सिहत छात्र के लागिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाईन में की गयी त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना।	11 दिसंबर, 2020 से 18 दिसंबर, 2020 तक
06	स्तर-6	आनलाईन आवेदन पत्र की त्रुटियों को ठीक करके हार्ड कापी छात्र/छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना।	आवेदन पत्र भरने के 03 दिन के अन्दर, बिलम्बतम 21 दिसंबर, 2020 तक
07	स्तर-7	त्रुटियों को ठीक करके छात्र द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र को शिक्षण संस्थान द्वारा आनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	12 दिसंबर, 2020 से 24 दिसंबर, 2020 तक

(अ) छात्र / छात्रा क्या करें :-

- 1. छात्रों को ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व अपने शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी समस्त अभिलेख जाति/आय/निवास प्रमाण पत्र (आनलाइन जारी), बैंग पासबुक शिक्षण संस्थान में जमा की गई शुल्क की रसीद, पाठ्यक्रम की अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबल शुल्क धनराशि, वर्तमान विश्वविद्यालय का नामांकन संख्या (Enrollment No.) आधार नम्बर, अपना पासपोर्ट साइज फोटो आदि अभिलेख अपने एकत्रित कर लें।
- 2. सभी छात्र/छात्राएं अपना आवेदन पत्र स्वंय भरें। ऑनलाइन पत्र आवेदन के लिए पासवर्ड स्वंय सृजित करें। छात्र/छात्राएं यदि साइबर कैफे/संस्था से आवेदन कर रहे है तो अपने सामने ही सभी प्रवृष्टियों को आवेदन पत्र में भरवाएं एवं जाच का प्रिन्ट लेकर स्वंय समस्त प्रवृष्टियों की जॉच कर ले तथा यदि कोई त्रुटि है तो

उसको सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र का ऑनलाइन सबिमट करें, तदोपरान्त कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करने हेतु प्रिन्ट अवश्य प्राप्त करें।

- 3. आवेदन पत्र पूर्ण करने के उपरान्त तीन दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिन्ट ले सकेंगे, यदि आवेदन पत्र में जाति/आय प्रमाण पत्र क्रमांक तथा हाईस्कुल/इण्टरमीडिएट के रोल नम्बर में कोई त्रुटि होगी तो उसे इन तीन दिनों में आपकी लागिन पर प्रदर्शित किया जायेगा। सही करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान को सबिमट करने हेतु फाइनल प्रिन्ट लें।
- **4.** अनिवार्य वार्षिक नान-रिफण्डेबल फीस के कालम में विभाग द्वारा प्राप्त नोटिस के अनुसार वास्तविक फीस की धनराशि अंकित करें या नीचे दर्शाये गए **Table** के अनुसार अंकित करें !
- 5. आधार नम्बर जो कि छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र पर अंकित बैंक खाते से सीडेड हो, भरना अनिवार्य है। आधार नम्बर देने तथा उसकी सीडिंग बैंक खाते में कराने से KYC (Know Your Customer) पूर्ण हो जाती है, अपनी बैंक खाते में KYC फार्म भरकर अवश्य जमा कर दें। अपना बचत खाता संचालित रखें एवं उसमें निर्धारित न्यूनतम बैलेन्स बनायें रखें।
- 6. बचत बैंक खाता संख्या CBS एवं IFSC Code को भिलभाति जाँच ले, बचत बैंक खाता संख्या एवं IFSC Code भरने में जीरो (0) और ओ (O) अक्षर को विशेष ध्यान से भरें, और यह भी ध्यान दे कि खाता संख्या 11 अंको से कम न हो।
- 7. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के छात्र/छात्राओं को नया अनलाइन आवेदन करना है। द्वितीय/तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के छात्र/छात्राएं पूर्व वर्ष में किये गये आनलाइन आवेदन का नवीनीकरण कराना होगा, अन्यथा कि स्थिति में आवेदन पत्र कार्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।
- 8. छात्र / छात्राएं पूर्व की कक्षाओं में छात्रवृत्ति न मिलने की दशा में भी आवेदन पत्र का वर्तमान सत्र में भी नवीनीकरण (Renewal) ही करें। न कि नवीन (Fresh) आवेदन पत्र भरें।
- 9. छात्र/छात्राओं को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की कुछ अनिवार्य प्रविष्टियों को ही भरना है, जिसमें विगत परीक्षा के प्राप्तांक/पूर्णांक/अनिवार्य वार्षिक नान रिफन्डेबल फीस, मोबाइल नम्बर, वर्तमान विश्वविद्यालय का नामांकन संख्या (Enrollment No.),आधार नम्बर, बैंक खाता संख्या व IFSC Code आदि भरना होगा। नवीनीकरण हेतु पात्र छात्र/छात्राएं आवेदन पत्र में विगत कक्षा के प्राप्तांक को सही भरें क्योंकि अंको का मिलान विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड किये गये परीक्षाफल से किया जायेगा।
- 10.पाठ्यक्रम व उसके वर्ष के अंकन सही सही ध्यानपूर्वक करें। छात्र/छात्रा विगत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अंकन अवश्य करें।
- 11.छात्र/छात्रा मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आई0डी0 स्वयं का ही दें। <u>मोबाइल और आधार नंबर को आवेदन पत्र</u> में भरे गए आपके खाते की संख्या के साथ जोड़ा जाना चाहिए।
- 12. नये छात्र / छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिन्टआउट निकालने से पूर्व तीन कार्य दिवसों में आनलाइन आवेदन में हुई कतिपय त्रुटियों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, लखनऊ द्वारा छात्रवृत्ति के पोर्टल पर स्टूडेन्ट सेक्शन में प्रदर्शित किया जायेगा। यह मुख्य रूप से आय / जाति प्रमाणपत्र के क्रमांक के प्रवृष्टि में त्रुटि हाईस्कूल के रोल नम्बर के प्रवृष्टि में त्रुटि से सम्बन्धित होगी।
- 13.जिन छात्र/छात्राओं का बैंक खाता प्रधानमंत्री जनधन खाता में है, वे अपना खाता बदल ले क्योंकि जन-धन खाते में रू0 50,000/- से अधिक धनराशि स्थानान्तरित न होने के कारण छात्रवृत्ति से वंचित हो जायेंगे।

(ब) छात्र/छात्रा क्या न करें :-

- 1. शिक्षण संस्थान में जमा करने के लिए आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति को न सौपें, कार्यालय में स्वंय जमा करें।
- 2. अपने व्यक्तिगत विवरण/अभिलेख यथा हाईस्कुल का अनुक्रमांक व बैंक खाता संख्या तथा आवेदन हेतु सृजित पासवर्ड किसी से भी साझा (Share) न करें।
- 3. आनलाइन आवेदन के लिए अंतिम तिथि का इन्तजार न करें।
- 4. अनुत्तीर्ण (Fail) छात्र किसी भी दशा में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतू आवेदन न करें।
- 5. शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट बिना निकाने आवेदन पत्र भरा हुआ नहीं माना जायेगा।
- 6. छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत प्रवृष्टिया भरने पर पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का ही होगा एवं आवेदन पत्र निरस्त हो जायेगा तथा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति धनराशि अनुमन्य नहीं होगा।

आवश्यक प्रमाण पत्र अथवा छात्र/छात्रा द्वारा ऑनलाइन किया गया आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित अभिलेख संलग्न करना अनिवार्य है :-

- 1. हाईस्कूल अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र की छायाप्रति।
- 2. इण्टरमीडिएट अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र की छायाप्रति।
- 3. डिप्लोमा अंकपत्र एवं प्रमाणपत्र की छायाप्रति।
- 4. बी0टेक0 अंकपत्र की छायाप्रति।
- 5. आय/ जाति/ निवास प्रमाणपत्र की मूल प्रति (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत एवं कम्प्यूटराइज्ड)।
- 6. Bor.up.nic.in से प्रमाणित किया हुआ जाति तथा निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- 7. आवेदन पत्र पर चस्पा फोटो पर स्वंय के हस्ताक्षर।
- 8. गैप का शपथ पत्र नोटरी द्वारा प्रमाणित।
- 9. हास्टल होने पर वार्डेन से प्रमाणित आवेदन पत्र।
- 10.संस्था के समीपस्थ राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये खाते की पासबुक की छायाप्रति IFSC Code कोड सहित।
- 11.छात्रा/छात्रा के माता-पिता अथवा अभिभावक का स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र।
- 12.विद्यालय द्वारा प्रदान पहचान पत्र की छायाप्रति।
- 13.शुल्क की रसीद/चालान की छायाप्रति।
- 14. आधार कार्ड की छायाप्रति।
- 15. नवीनीकरण करने वाले छात्र/छात्रा पिछली कक्षा की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्ति की रसीद।
- **16.**ऑनलाइन आवेदन के लिए अंतिम तिथि का इन्तजार न करें, क्योंकि अंतिम तिथि के पश्चात् बेवसाइट लाक कर दी जायेगी।

प्रमात्रपत्रों के साथ विभिन्न परिशिष्टों यथा 'ख' (रू० 100/- का नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर) 'ग', 'च' बनाकर स्पष्ट अक्षरों में भरकर प्रत्येक दशा में अंतिम रूप से दिनांक 01^{st} November, 2020 या उससे पहले तक कार्यालय में अवश्य प्राप्त करा दें, अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी छात्र/छात्रा की स्वंय की होगी।

अनिवार्य नान रिफण्डेबल शुल्क :

Course Name	Fee 1 st Year & New Lateral Entry (B.sc/Diploma)	Fee 2 nd Year	Fee 3 rd Year	Fee 4 th Year	
B. Tech (Civil,IT,ME)	64600/-	64500/-	64500/-	64500/-	

नोडल अधिकारी

(छात्रवृत्ति)

संलग्नक : उपरोक्त।

पत्रांक : रा0इन्जी0का0आजमगढ़/छात्रवृत्ति/ /2020

दिनांक : 27 अगस्त, 2020

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक महोदय को सूचनार्थ।

- 2. सहायक कुलसचिव, अधिष्ठाता शैक्षणिक / छात्र कल्याण, समस्त विभागाध्यक्ष एवं समस्त छात्रावास अधीक्षक को इस आशय से प्रेषित की अपने विभाग में छात्रवृत्ति से सम्बन्धित सूचना को सूचना पटट् पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
- 3. प्रभारी बेवसाइट को इस आशय से प्रेषित कि संस्थान बेवसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

नोडल अधिकारी

(छात्रवृत्ति)

शपथ पत्र

दिनांक :

सेव	वा में, निदेशक,
	राजकीय इन्जीनियरिंग क्षालेज, देवगॉव, आजमगढ़।
1.	मै शपथकर्ता पुत्र /पुत्री श्री पता
2.	का पूल निवासी हूँ। मै शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि
	मै शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी स्नोतों से मासिक आय (शब्दों एवं अंकों में) रू० एवं वार्षिक आय (शब्दों एवं अंकों में) रू०
4.	मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि संलग्न आय प्रमाण पत्र संख्या
- '	संस्थान
	पै शपथकर्ता
	शपथकर्ता घोषणा करता है कि क्रम संख्या 01 से 06 तक में किसी भी तथ्य को छुपाया नहीं गया है, यदि महाविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में कोई भी तथ्य गलत पाया जाता है तो कि छात्रवृत्ति /शुल्क प्रतिपूति की भुगतान की गई धनराशि 18 प्रतिशत व्याज के साथ ही महाविद्यालय को वापस करने का वचन देता हूँ। साथ ही महाविद्यालय गलत तथ्यों के आरोप में नियमानुसार दण्ड देने के लिए स्वतन्त्र होगा।
	शपथकर्ता छात्र / छात्रा के हरताक्षर विद्यार्थी के माता / पिता / विधिक अभिभावक का विवरण हरताक्षर शपथकर्ता नाम हरताक्षर पता पता

नोट :- उपरोक्त शपथपत्र रू० 10/- के स्टाग्प पेपर पर छात्र/छात्रा के पिता/माता अथवा दोनों के जीवित न होने की दशा में माननीय न्यायालय द्वारा नियुक्त वैधानिक अभिभावक द्वारा दिया जायेगा, यदि कोई छात्र/छात्रा उक्त शपथ पत्र नहीं देता है तो छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्र खीकार न किया जायेगा।

<u>छात्र एवं संस्था के नध्य अनुबंध पत्र</u> (निर्धारित दर पर नान जूडिशियल स्टान्य पेयर पर) (अनुसूचित जाति/जनजाति हेत्।)

	(अनुसूचित जाति/जनजात हतु।)	
	रह अनुबंध पत्र आज दिनाँक को (1) कु0/श्रीमती/श्री जाति आयु वर्ष पुत्री/पत्नी पुत्र श्री जाति निवासी ग्राम/मु0 डाकखाना तहसील जिला जिसे एतत्पश्चात प्रथम पक्ष कहा गया है।	
	एवं	
ज्ञारा प्रा		
জনজা	चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दशमोत्तर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति गेजना संवातित है, जिसकी पात्रता संबंधी शर्त आदि दशमोत्तर अनुसूचित जाति/ अनुसूचित ते नियनवली 2012 में उल्लिखित है। उक्त नियमावली के आलोक में दोनों पक्ष निम्नलिखित । स्वीकार करते हैं :—	
1—	द्वितोय पक्ष प्रथम पक्ष को अपनी रीक्षिक संस्थान में निःशुल्क प्रवेश उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2012 के अनुपालन में देगा ।	ť
2	प्रथम पक्ष, संदर्भित संस्था में प्रवेश पाने पर निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपृतिं) के निर्धारित आवेदन पत्र पर समस्त वांछित अभिलेखें सिंहत संस्था में जना करेगा एवं द्वितीय पक्ष द्वारा नाभित अधिकारी प्रथम पक्ष को निर्धारित प्रारूप पर प्राप्ति रसीद देगा ।	ì
3—	द्वितीय पक्ष उपर्युक्त नियमावली के प्राविद्यानों के अन्तर्गत प्रथम पक्ष की छात्रवृत्ति स्वीकृति हेर वांछित कार्यवाही सम्पन्न करायेगा ।	ন্তু
4—	प्रथम पक्ष के बैंक खाते में नियमावली के अनुसार देय छात्रवृत्ति (अनुरक्षण भत्ता एवं शुल् प्रतिपूर्ति) की घनराशि जमा हो जाने पर प्रथम पक्ष विलम्बतम 15 दिन के अंदर द्वितीय प द्वारा निर्धारित व्यवस्थानुसार शुल्क प्रतिपूर्ति की घनराशि द्वितीय पक्ष के पक्ष में अन्तरित व देगा ।	EΤ
5—	प्रथम पक्ष संस्था में उत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्घारित उपस्थिति के निर्देश का कडाई से अनुपालन करेगा।	श्रो

प्रथम पक्ष अपरिहार्य कारणों को छोडकर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर परीक्षा अधवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा जो भी हो, में प्रतिमाग करेगा। 7— उत्तर प्रदेश दशमीत्तर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (अनुरक्षण मत्ता एवं शुक्ल प्रतिपूर्ति) विषयक नियमावली 2012 की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम प्रत का आवेदन पत्र - निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रथम प्रत, द्वितीय पक्ष की संस्था को देय समस्त शुक्ल वहन करने का दायित्व प्रथम पक्ष का होगा ।

नथन	पक्ष	:	इस्ताइर	हितीय पदा	इस्ताक्षर
			नान		नाम व पदनान
		•	पिता / पति का नान		ग्पेता/पवि का नाम
			प्ता		पता
प्रथन	पक्ष	के दो	गवाह :	द्वितीय पक्ष के	दो गवाह:-
			हस्तावर		इस्ताक्षर
			नान		नाम व पदनाम
			विता/पति का न्तम		पिता/ गति का नाम
			पता		यता

छात्र एवं संस्था के मध्य अनुबंध पत्र (निर्धारित दर पर नान जूडिजियल स्टान्य ऐपर पर) (सनान्य वर्ग हेतु)

यह अनुबंध पत्र आज दिनाँक
आयु वर्ष पुत्रो / पत्नी पुत्र श्री जाति जाति
नेवात्ती प्रान/मु0
जिसे एतत्पश्चात छात्र/छात्रा कहा गय हैं, जिसमें उसके उत्तराधिकारी प्रतिनिधि एवं निप्पादक सम्मिलित हैं (प्रथम पक्ष)।
(2) (संस्थाध्यक्ष) पता जनपद (जहां छात्र/राज्य जनकार के द्वारा प्राधिकृत जनपद (जहां छात्र/राजा अध्ययनरत हैं) जो केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृति विश्वविधालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है (जिसे एतत्पश्चात संस्था कहा गया है, जिसमें उसके उत्तराधिकारी, प्रतिनिधि एवं निष्पादक सम्मिलित हैं) द्वितीय पक्ष के मध्य किया गया है।

र्चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति संबंधो दोजना संचालित है, जिसकी पात्रता संबंधो शर्ते आदि दशमोत्तर सामान्य वर्ग दिशा—निर्देश 2012 में उत्तिसक्ति है। उन्त दिशा—निर्देश के आलोक में यह अनुबंध पत्र निम्नलिखित ताक्षी है, जिसको शर्त निम्नलत् हैं, में छात्र/छात्रा को प्रथम पद्म एवं संस्था को द्वितीय पक्ष अभिहित किया गया है :—

- हितीय पत्त प्रथम पत्त को अपनी शिक्षक संस्थान में उत्तर प्रदेश दशमांतार सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति
 (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुक्क प्रतिपूर्ति) विशयक दिशा—निर्देश 2012 के अनुपालन में देगा।
- 2- प्रथम पक्त, संदर्भित संस्था में प्रवेश पात हो निर्धारित समयादाव कं अन्तर्गत उदत कात्रवृत्ति (दशमंत्तर कात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपृति) के निर्धारित आवेदन पत्र पर समस्त वांक्रित अभिलेखों सिंहत संस्था में जना करेगा एवं संस्था द्वारा नामित अधिकारी/कर्नेचारी संबंधित कात्र को निर्धारित प्रास्त्व पर प्राप्ति रसीद होगा।
- उन हितीय पक्ष प्रथन पक्ष से छात्रशृति (दशनोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्च प्रतिपूर्ति) अयेदन एत्र का नियमानुसार परीक्षण कराकर शासन हारा गाँठत समिति के नाध्यन सं, छात्र के आवेदन पत्र के अर्थ पाये जाने पर स्वीकृति प्रदान करायेगा। स्वीकृति उपरान्त हितीय पक्ष स्वीकृत आयेदन पत्र के विवरणों को सभाज कल्याण विभाग हारा निर्मित कराये गये एवं शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराये गये छात्रवृत्ति के साम्द्रवेयर नें डाटा इन्ट्री करायेगा तथा उसकी हार्ड कापी डाटा का निलान करायेगा एवं त्रुटि संशोधन डाटा नें आवश्यकतानुसार करायेगा।
- 4- वित्तीय यह द्वारा प्रथम यह का छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुक्क प्रतिपूर्ति) विषयक डाटा संबंधित शिक्षा विमाग के माध्यम से संबंधित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को शासन द्वारा निर्वारित समय सीमा में उपलब्ध करायेगा।
- 5— जिला सनाज कल्याण अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रथम पक्ष के वैंक खाते में अनुरक्षण मत्ता की पूरी धनराशि एवं निर्धारित शुक्क प्रतिपूर्ति की 50 प्रतिशत धनराशि जमा करेगा।
- 5— प्रथम पक्ष के बेंक खाते में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कात्रकृतित (दशमोत्तर कात्रकृतित एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) की घनराशि जना हो जाने पर विसम्बतम 15 दिन के अंवर द्वितीय पक्ष के शुल्क काखण्टर पर जाकर शुल्क प्रतिपूर्ति चंबंधी जना घनराशि जमा करके प्रथम पक्ष से रसीद प्राप्त करेगा।
- 7- प्रथम पद्म संस्था ने सत्तम कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का कडाई से अनुपालन करेगा।

- उम्म पक्ष अपिरहार्थ कारणों को छोडकर द्वितीय पक्ष द्वारा आयोजित सेमेस्टर प्ररोक्ता अथवा अर्द्धवार्षिक परीक्षा जो भी हो, में प्रतिमान करेगा।
- 9— हितीय यक्ष, प्रथम यक्ष के सेनेस्टर अथवा अर्द्धवार्षिक परीजा में प्रतिमान करने की सूचना निर्धारित प्रारूप पर जिला समज कल्यान अधिकारी को उपलब्ध कराकर साम्हर्ण्यर में प्रविद्धि कराने में जिला समज कल्यान अधिकारी का सहयोग करेगा।
- 10- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा शुक्क प्रतिपूर्ति की अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि नियमानुसार अथन पक्ष के खाते में पुनः उसी वित्तीय वर्ष में जमा करेगा।
- 11— प्रथम पक्ष के खाते में अवशेष शुक्क प्रतिपूर्ति की हिताय किश्त जमा हो जाने के बाद 15 दिन के अंदर हितीय पक्ष के संस्था के काउण्टर पर जाकर जमा करेगा एवं प्राप्ति रसीद सेगा।
- 12— जात्रकृति संबंधी शासन द्वारा गठित समिति के द्वारा यदि द्वितीय पक्ष द्वारा जमा कराये गये आवेदन पत्रों अस्थीकृत किया जाता है तो द्वितीय पक्ष इस संबंध में स्पष्ट आदेश पारित करेगा, जित्तमें उन कारणों का उल्लेख होगा जिनके कारण आवेदन पत्र अस्थीकृत किया जायेगा।
- 13— उत्तर प्रदेश दशनोत्तर सामान्य वर्ग छात्रवृत्ति (दशनोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुक्क प्रतिपृति) विषयक दिशा— निर्देश 2012 की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम पश्च का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रथन पक्ष, द्वितीय पद्म की संस्था को देय समस्त शुक्क अपने स्वयं के साधनों से एक माह में जना करेगा।

प्रथम महा:	हस्ताक्षर नाम पेता / पति का नाम पता	द्वितीय पक्ष	हस्तावर नान य पदनान पिता/पित का नान पता
प्रथन पक्ष के दो	गगहः : हस्तान्नर	हितीय पद्ध के र	हो गढाह :- इस्ताइर

गरिशिष्ट - "ख"

<u>छात्र एवं संस्था के नध्य अनुबंध पत्र</u> (निर्धारित दर पर नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर) (थन्य पिछड़ा ठर्ग/अत्य—संख्यक वर्ग हेन्।)

यह अनुबंध पत्र आज दिनॉक को (1) कु0/भीनती/भी
आयु वर्ष पुत्री/पत्नी पुत्र श्री जाति
নিৰ্বাল যাদ/নু0 জাকজনা নচপাল জিলা
जिसे एवत्पश्यात छात्र/छात्रा कहा गय है, जिसमें उसके उत्तराधिकारी प्रतिनिधि एव निष्पादक सम्मिलित हैं (प्रथम पद्म)।
(२) (संस्थाव्यव) पता
जनपर (जहां छात्र/छात्रा अध्ययनरत है) जो केन्द्र/राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है (जिसे एतत्परचात संस्था कहा गया है, जिसमें उसके उत्तराधिकारी प्रतिनिधि एवं निष्पादक सम्मिलित है) द्वितीय यस के मध्य किया गया है।

मूँकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति संबंधी योजना संचालित है, जिसकी पात्रता संबंधी शर्ते आदि दशनोत्तर अन्य पिछड़ा वर्ग दिशा—निर्देश 2012 में उल्लिखित है। उद्य दिशा—निर्देश के आलोक ने यह अनुगंध पत्र निन्नलिखित साक्षी है, जिसको शर्ते निन्नवत् हैं, में छात्र/छात्रा को प्रथम पक्ष एवं संस्था को द्वितीय पद्य अभिहित किया गया है :—

- 1— हितीय पष्ट प्रथम पक्ष को अपनी शैक्षिक संस्थान में उत्तर प्रदेश दशनोत्तर अन्य विकड़ा वर्ग कात्रवृत्ति (दशनोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक दिशा—निर्देश 2012 के अनुपालन ने देगा।
- 2— प्रथम पक्ष, संदर्भित संस्था में प्रवेश पाते ही निर्धारित समयाविध के अन्तर्गत उक्त छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) के निर्धारित आवेदन पत्र पर समस्त वांछित अभिलेखों सहित संस्था में जना करेगा एवं संस्था हारा नानित अधिकारी/कर्नवारी संबंधित छात्र को निर्वारित प्रास्त पर प्राप्ति रसीद होगा।
- उन हित्तिय पक्त त्रथन पत से छाञ्चाति (दशमोतित छाञ्चाति एवं शुक्क प्रतिणूदिं) आवेदन पत्र का नियमानुकार प्रतिभाग कराकर शासन हारा गाँउत सामिति के माध्यम से, छात्र के आवेदन पत्र के अहं पाये जाने पर स्वीकृति प्रदान करायेगा। स्वीकृति उपरान्त हितीय पद्य स्वीकृत आवेदन पत्र के विवरणों को समाज कल्याण विमान हारा निर्मित कराये गये एवं शिक्षा विमान को उपलब्ध कराये गये छात्रवृत्ति के साष्टवेयर में डाटा इन्ह्री करायेगा तथा उसकी हार्ड कापी डाटा का निलान करायेगा एवं त्रुटि संशोधन डाटा में आवश्यकतानुसार करायेगा।
- 4— हितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष का छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क ग्रंतिपूर्ति) विषयक डाटा संबंधित शिक्षा विमाग के माध्यम से संबंधित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारों को शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध करायेगा।
- 5— जिला सनाज कल्याण अधिकारी द्वारा नियमानुसार प्रथम पक्ष के वैंक खाते में अनुरदाण नत्ता की पूरी धनराशि एवं निर्धारित शुक्क प्रतिपूर्ति की 50 प्रतिशत धनराशि जना करेगा।
- अध्यम पक्ष के बेंक खाते में जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुक्क प्रतिपृति) की जनराशि जमा हो जाने पर विलम्बतम 15 दिन के अंदर द्वितीय यक्ष के शुक्क कालण्टर पर जाकर शुक्क प्रतिपृति संबंधी जमा धनराशि जमा करके प्रथम वक्ष से रसीद प्राप्त करेगा।
- 7— प्रथन पक्ष संस्था ने उत्तन कार्य व्यवहार एवं द्वितीय पक्ष द्वारा निर्धारित उपस्थिति के निर्देशों का कडाई से अनुपालन करेगा।

- प्रथम पक्ष अपिरहार्य कारणों को छोडकर हितीय पक्ष हारा आयोजित सेनेस्टर परीक्षा अथवा अर्ह्ववृद्धिक परीक्षा जो भी हो, में प्रतिभाग करेगा।
- 9— हितीय पद्म, प्रथम पद्म के सेनेस्टर अथवा अर्द्धवर्षिक परीक्षा में प्रतिमान करने भी सूचना निर्धारित प्राक्तय पर जिला सनाज कल्याम अधिकारी को उपलब्ध कराकर साएटवंबर में प्रक्रिक्ट कराने में जिला सनाज कल्याम अधिकारी का तहयांन करेगा।
- 10— जिला तमाज कल्याण अधिकारी द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति की अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि नियमानुसार प्रथम पक्ष के खाते में पूनः उसी विस्तीय वर्ष में जमा करेगा।
- 11— प्रथम पक्ष के खाते ने अवशेष शुल्क प्रतिपूर्ति की द्वितीय किश्त जना हो जाने के बाद 15 दिन के अंदर, दितीय पक्ष के संस्था के काराण्टर पर जाकर जना करेगा एवं प्राप्ति रसीद लेगा।
- 12— जात्रवृत्ति संबंधी शासन द्वारा गठित सिमिति के द्वारा यदि द्वितीय पक्ष द्वारा जमा कराये गये आवेदन पत्रों अस्थीकृत किया जाता है तो द्वितीय पक्ष इस संबंध में स्पष्ट आदेश पारित करेगा, जिसमें उन कारणों का उल्लेख होगा जिनके कारण आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जायेगा।
- 13— उत्तर प्रदेश दशमोत्तर अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति (दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) विषयक दिशा— निर्देश 2012 की व्यवस्थानुसार यदि प्रथम एक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पत्त. द्वितीय पक्ष की संस्था की देय समस्त शुल्क अपने स्वयं के साधनों से एक नाह में जना करेगा।

प्रथम पद्ध :	हस्ताक्षर नान थिता / पति का नान पता	द्वितीय पक्ष	हस्ताक्षर व पदनान मिता / पति का नान पता
प्रथम पस के दो	• ••	हितीय पक्ष के व	
	721779		हत्ताकर
	नान्		नान व पदनान
	पिता/पति का नान		पिता / पति का नान
	पता		पता

जन / छाना हारा देय शपण पन

समक्ष

संस्थाध्यकः / जिला समाज कल्याण अधिकारी (जो उचित हो)

	नैपुत्र/पुत्री श्री	जो ग्राम	-
हिल्ला	ा का निवासी हूँ। श [्]	नथ पूर्वक निम्नलिखित बसान करता हूँ :	
	यह कि नै ग्राम नुहल्ला उत्तर प्रदेश का नूल निवासी हूँ। (सामान्य निवास प्रमाण पत्र	तहसील	н
<u></u>	यह कि मैं उत्तर प्रदेश रांज्य में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति / पिछड़ा वर्ग /अल्प-संख्यक वर्ग (जो भी लागू हो) का हूँ । (तहसीलवार द्वारा प्रदत्त जाति ग्रनाण पत्र संलग्न है)	अनुसूचित जनजाति/समान्य वर्ग/अन्य	
}	यह कि मेरे माता पिता, विधिक अनिनायक की सनस्त चोतों कन है। (तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र/अनिमावक के नि पत्र सहित संलग्न हैं)		
4—	यह कि सत्मित नें	। अध्ययनस्त् हैं। संस्था	
5	वह कि नैने उदत विश्वविद्यालय/बोर्ड ने पंजीयन हेतु आवे होने पर संस्था को ससनय उपलब्द करा दूँगा ।	वेदन कर दियां है। एंजीयन प्रनाण एत्र प्रा	<u>দ্</u> ব
e—	यह कि मेंने पिछली परीक्षा वर्ष में उत्तीर्ण औरवित्य सहित प्रस्तुत हैं। परीक्षा प्रनाग पत्र की प्रति संलन्न	की है। नैप के संबंध में अलग से शपथ प हुई ।	1ত্র
7	यह कि मुझे कोई दूसरी छात्रवृतित नहीं मिल रही है। य अधिक लामप्रद है ।	दि कोई अन्य छात्रदृतिः को इस योजना	त्तं
3—	यह कि नेरा वचत खाता संख्याः ===============================	वेंक के	
9-	यह कि उक्त संस्था द्वारा नुझे निःशुक्क प्रवेश दिया गया : ई।) उक्त शपथ पत्र में 1 से 9 तक में वर्णित सनी तथ्य सहं तथ्य किपाया नहीं गया है। ईश्वर हमारी मदद करें ।	_	•
दिनाँ	नौंक :		
	शपथी	के हस्ताबर	
		/पति का नाम	
	पता	T FOR PO TO THE TIME THE POSTULATION OF STREET AND ADMINISTRATIONS AND ADMINISTRATION OF A MANAGEMENT AND A MANAGEMENT AND ADMINISTRATION OF A MANAGEMENT AN	